

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—44/2021 (2021/125) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. केशु पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जोधा पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगु पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामा पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हजारी पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पिता गोकल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. किशन पिता गोकल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्रभु पिता गोकल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रोशन पिता गोकल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. दीपा पिता लाडु गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मांगु पिता लाडु गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकर पिता रामा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कस्तुर पिता खेमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लेहरू पिता रामा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. जीतु पिता सुरजमल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गिरधारी पिता भुरा गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. लक्ष्मण पिता हीरा गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. हरदेव पिता हीरा गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. नारायण पिता प्रताप गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. किशन पिता कालु गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

दिनांक 01.09.2021

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारी की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 68 में अकिंत आराजी संख्या 933/838 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 939/883 रकबा 1.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.98 है0 भूमि अन्य आराजियात दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना

32

आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 29.06.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 14.07.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 15 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काशत की कृषि आराजियात खाता संख्या 68 में अंकित आराजी संख्या 933/838 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 939/883 रकबा 1.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.98 है0 भूमि अन्य आरायिजात दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
1.9.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी/अधीक्षक

महायक करार्थपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—44/2021 (2021/125) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. केशु पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जोधा पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगु पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामा पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हजारी पिता टेका गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. मोहन पिता गोकल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. किशन पिता गोकल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्रभु पिता गोकल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रोशन पिता गोकल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. दीपा पिता लाडु गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मांगु पिता लाडु गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शंकर पिता रामा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कस्तुर पिता खेमा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लेहरू पिता रामा गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. जीतु पिता सुरजमल गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गिरधारी पिता भुरा गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. लक्ष्मण पिता हीरा गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. हरदेव पिता हीरा गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. नारायण पिता प्रताप गुर्जर निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. किशन पिता कालु गाडरी निवासी चारोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 01.09.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम चारोट पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात खाता संख्या 68 में अकिंत आराजी संख्या 933/838 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 939/883 रकबा 1.32 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.98 है0 भूमि अन्य आराजियात दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलाल पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 01.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



(सुन्दर लाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर